दीपक V/S ज्ञानसिंह

22/12/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 20/01/26 को पेश हो।
20/01/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/3/26 को पेश होवे
04/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 06/04/26 को पेश हो।
6/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 6/5/26 को पेश हो।
6/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की संक्षिप्त बहस सुनी गयी। अधि० प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें उनको जन्म लेते ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। उक्त आराजी को अप्रार्थीगण ने न्यायालय अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करा लिया है एवं अपने व्यसनों की पूर्ति हेतु अप्रार्थी सं. 1 उक्त आराजी का बेचान अन्य व्यक्तियों को करना चाहता है। अप्रार्थीगण को वर्णित अस्थाई निषेधाज्ञा नोटिसला, बाद पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। मेरे द्वारा विद्वान अधिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेज रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद पुकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दीपक V/S ज्ञानसिंह	
	तामील हाजिर अदालत नहीं आये। ना ही अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में अपनी ओर से कोई जवाब व साक्ष्य पेश किया है। उक्त आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की छोड़ी हुयी आराजी है। उक्त आराजी में दोनों पक्षों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के हक में जाहिर होते है। अतः! अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख० नं० 1984, 1988, 1461, 1989, 1991 वाके ग्राम मैंसा तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसला मुताबिक हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	